झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–48 / 2020

शिव चरण मुर्मू .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री आशीष कुमार, अधिवक्ता।

राज्य के लिए : ए0पी0पी0।

02 / 14.01.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्त्ता पोरैयाहाट थाना काण्ड संख्या 130 वर्ष 2019 के संबंध में एक अभियुक्त हैं।

यह आरोप लगाया गया है कि सूचक का पति बिट्टी मुर्मू से मिलने गया था। वह वापस नहीं आया और अगली सुबह, उसका शव मिला। जहाँ तक याचिकाकर्त्ता के निहितार्थ का सवाल है, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें घटना की तारीख पर बिट्टी मुर्मू के घर के आसपास घूमते हुए देखा गया था। याचिकाकर्त्ता का नाम एफ0आई0आर0 में नहीं है और केवल ऊपर बताए अनुसार संदेह पर फंसाया गया है।

उपरोक्त के संदर्भ में, उपर नामित याचिकाकर्त्ता को 10,000 / – (दस हजार रूपये) के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर न्यायिक

दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गोड्डा की संतुष्टि पर, पोरैयाहाट थाना काण्ड संख्या 130 वर्ष 2019 के संबंध में जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)